न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–141/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम पवन मुखिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

01/12/2020

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–732/म0नि0को0, दिनांक–18.05.2020 से प्राप्त अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–50/20 दिनांक 07.03.2020 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 सं0– **BR07Z-5010** को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती एवं बैक चेकिंग के दौरान ब्रहमोतरा पहुँचने पर गुप्त सूचना मिली कि ग्राम दिघरा के पवन सहनी के द्वारा भारी मात्रा में देशी शराब बनाकर बेचने के लिए सिरनियाँ होकर जाने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु सशस्त्र बल के साथ ग्राम बलुआहा मदरसा के पास पहुँच कर वाहन चेकिंग करना प्रारम्भ किया गया। इसी क्रम में एक काले एवं ब्लू रंग का ग्लैमर मोटरसाईकिल को सिरनियाँ के तरफ से आते देखा जिस पर एक प्लास्टिक का बोरा एवं झोला बंधा हुआ था। पुलिस बल को देख उक्त मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को छोड़कर बलुआहा गाँव की तरफ भागा जिसका पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया परन्तु वह भागने में सफल रहा। तत्पश्चात दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उक्त मोटरसाईकिल रजि0 सं0– **BR07Z-5010** पर लादे नीले रंग के प्लास्टिक का बोरा एवं उजले रंग का झोला जो बंधा हुआ था कि तलाशी लिया गया तो नीले रंग के प्लास्टिक के बोरा से 11 बोतल हरे रंग का दो लीटर वाला पेप्सी कम्पनी के बोतेल से कुल 22 लीटर देशी शराब तथा उजले रंग के झोला से दो–दो लीटर वाला प्लास्टिक का 05 पन्नी में करीब 10 लीटर देशी शराब पाया गया। इस प्रकार कुल 32 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी निर्दोष हैं एवं ग्रामीण राजनीति के कारण प्राथमिकी में नाम दे दिया गया है। सत्य यह है कि घटना के दिन अपने ग्रामीण भीखो मुखिया को उनके किसी काम के लिए एक घंटे के लिए वाहन दिया था, जब शाम तक नहीं लौटा तो उसकी खोज की गई। नहीं मिलने पर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। जब पुलिस द्वारा वाहन जब्त किया तो उक्त वाहन भीखो मुखिया उपयोग कर रहा था। विपक्षी देशी शराब का बिक्री नहीं करता है। विपक्षी अभी जमानत पर है। वाहन विमुक्ति हेतु अंडरटेकिंग देने के तैयार हैं। अतः जब्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन मोटरसाईकिल

रजि0 सं0– **BR07Z-5010** पर लादे नीले रंग के प्लास्टिक का बोरा एवं उजले रंग का झोला जो बंधा हुआ था कि तलाशी लिया गया तो नीले रंग के प्लास्टिक के बोरा से 11 बोतल हरे रंग का दो लीटर वाला पेप्सी कम्पनी के बोतल से कुल 22 लीटर देशी शराब तथा उजले रंग के झोला से दो–दो लीटर वाला प्लास्टिक का 05 पन्नी में करीब 10 लीटर देशी शराब पाया गया। इस प्रकार कुल 32 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कथन एवं दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नही किया गया जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या–50 / 20 दिनांक 07.03.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 सं0– **BR07Z-5010** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा